NAVODYA TIMES, Delhi, 14.7.2017
Page No. 10, Size:(24.09)cms X (19.59)cms.

'आधार' सशक्तिकरण का जरिया है, न कि लोगों को लाभ से वंचित रखने का हथकंडा

ए.बी. पांडे

हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में 'आधार' की आलोचना यह कह कर की गई है कि इसके लागू होने के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जरूरतमंद और पात्रता रखने वाले लोगों को अनेक योजनाओं के लाभों के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन ऐसी आलोचना न तो जमीनी तथ्यों पर आधारित है और न ही कानूनी प्रावधानों पर। ऐसे आलोचकों को याद रखना चाहिए कि बहुत समय पहले की बात नहीं जब गरीबों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं में से भारी-भरकम राशि जालसाजों और नौकरशाहों तथा बोगस संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा चुरा ली जाती थी जिसके फलस्वरूप असली लाभार्थियों को नुक्सान होता था।

जाली पैन कार्डों और बोगस बैंक खातों व कागजी कम्पनियों की सहायता से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी, धन शोधन तथा काले धन का सृजन होता था। जब भी सरकार ऐसी बोगस इकाइयों या व्यक्तियों का सफाया करने का प्रयास करती तो इनका केवल सीमित और अल्पकालिक प्रभाव ही होता था क्योंकि बोगस व्यक्ति और संस्थाएं पहले से भी अधिक संख्या में नए रूपों में प्रकट हो जाते थे।

'आधार' की परिकल्पना ही इस बीमारी का इलाज करने के लिए की गई थी और 2016 में आधार अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक हैसियत प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप सरकार कल्याण योजनाओं और सेवाओं के लिए 'आधार नंबर' अनिवार्य बनाने के योग्य हो गई है।

फिर भी आलोचकों का कहना है कि पी.डी.एस., महात्मा गांधी नरेगा एवं मिड-डे मील जैसी योजनाओं के लिए 'आधार' को अनिवार्य बनाने वाली सरकार की अधिसूचनाओं के फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग लाभों से वंचित हो गए हैं। अपनी दलील सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ वृद्ध लोगों का उदाहरण दिया है जिन्हें डिपुओं से खाद्य पदार्थों का राशन दिए जाने से केवल इसलिए इंकार कर दिया गया कि उनके पास या तो आधार नंबर नहीं था या फिर उनकी उंगलियों के छापे का प्रमाणीकरण नहीं हो सका था क्योंकि आयु के साथ उनकी उंगलियां घिस चुकी थीं।

ऐसे आलोचकों की मंशा यह प्रभाव पैदा करने की है कि इस तरह के लाभार्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 'आधार' ही जिम्मेदार है और इसलिए यह योजना गरीब विरोधी है तथा इसी कारण इसे त्याग देना चाहिए। वास्तव में ऐसे आलोचकों का दृष्टिकोण पंजाब की इस लोकोक्ति का उदाहरण है: "छड्डया मज्झ थल्ले, गया झोटे थल्ले।"

'आधार' नंबर अब तक 115 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रदान किया गया है। देश के 99 प्रतिशत से भी अधिक वयस्क इसके दायरे में आ गए हैं। इतना विशाल दायरा होने के बावजूद आधार अधिनियम में यह वैधानिक प्रावधान किया गया है कि देश का एक भी व्यक्ति आधार संख्या न होने के कारण लाभों से वंचित नहीं रहना चाहिए। 'आधार' (पंजीकरण एवं संवर्द्धन) नियमावली के नियम 12 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी एजैंसियों या संस्थाओं को अपने प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए आधार नंबर लेना होगा और जब तक संबंधित सदस्य को आधार नंबर नहीं मिलता तब तक उसे हर प्रकार का लाभ उपलब्ध करवाना होगा। आधार अधिनियम उन लोगों को भी वैधानिक संरक्षण उपलब्ध करवाता है जो बुढ़ापे या अन्य किसी कारण से उंगलियां घिसने या किसी तकनीकी या कनैक्टिविटी विफलता के फलस्वरूप अपने उंगली छापे को सत्यापित नहीं कर पाते। आधार अधिनियम के प्रखंड 7 में "आधार सत्यापन या आधार नंबर होने के प्रमाण के माध्यम से लाभों की डिलीवरी" अनिवार्य करता है।

इसलिए यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि मशीन पर किसी व्यक्ति को अपनी उंगलियों की छाप सत्यापित करने में कठिनाई पेश आती है तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति उपलब्ध करवा सकता है और जब तक मशीनी गलती ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे इसी प्रमाण के बूते लाभ मिलते रहेंगे। लोगों के बीच जमीनी स्तर पर काम करने वाली एजैंसियों को इसी के अनुरूप सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं।

इन बातों के बावजूद यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर न होने या इसका बायोमीट्रिक सत्यापन करने में विफलता के कारण लाभों से वंचित रखा जाता है तो यह सरकारी आदेशों का उल्लंघन होगा और ऐसा उल्लंघन करने वाला दंड का अधिकारी होगा। फिर भी यह दावा करना कि लाभों से वंचित करने के लिए 'आधार' ही जिम्मेदार है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राहकों से 500 रु. के नए नोट व्यापारियों द्वारा स्वीकार न किए जाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा प्रणाली को दोष दिया जाए। यह कहने की जरूरत नहीं कि इस प्रकार के अपराधों से स्थानीय प्रशासकीय एजैंसियां निपट सकती हैं।

'आधार' के कुछ आलोचक मांग करते हैं कि जो लोग 'आधार' के लिए अपना नाम ही दर्ज नहीं करवाते उन्हें भी इसके लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। यह गुहार निश्चय ही आधार अधिनियम के अंतर्गत कोई वैधता नहीं रखती क्योंकि आधार अधिनियम में यह प्रावधान है कि इसके लाभ हासिल करने के लिए पंजीकरण वैधानिक रूप में अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई 'आधार' के लिए जानबूझ कर नाम ही दर्ज नहीं करवाता तो उसे इससे मिलने वाले लाभों को भी भूल जाना चाहिए।

जो सरकार टैक्सों के पैसे में से लाखों करोड़ रुपया कल्याण योजनाओं पर खर्च करती है क्या उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं कि यह लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही हासिल हो? क्या यह प्रक्रिया यकीनी बनाने के लिए उसे 'आधार' जैसी विश्वसनीय पहचान प्रणाली प्रयुक्त करने का अधिकार नहीं? क्या हमने अक्सर ऐसी कहानियां नहीं सुनीं जब 'स्टॉक खत्म हो गया है' का बहाना बनाकर लोगों को राशन डिपुओं से खाली हाथ भेज दिया जाता है?

अब राशन वितरण सहित अन्य सभी कल्याण योजनाओं के लाभ 'आधार' पहचान प्रक्रिया के माध्यम से वितरित होंगे तो रिकार्डों में हेराफेरी करना अथवा वास्तविक लाभार्थियों को झूठ बोलकर टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 'आधार' व्यवस्था के अंतर्गत डिलीवरी प्रणाली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी पहले से कहीं अधिक हो जाएगी। इसके अलावा नागरिकों का भी सशक्तिकरण होगा क्योंकि अब किसी अन्य के लिए उसके स्थान पर जालसाजी करना और उसे उसके अधिकारों से वंचित करना बहुत कठिन हो जाएगा।

गत 3 वर्षों दौरान ही 'आधार' ने जालसाजों और नौकरशाहों का सफाया करके सरकार का 56 हजार करोड़ रुपए से अधिक पैसा बचाया है। जो आलोचक इन आंकड़ों पर विवाद उठाते हैं वे विश्व बैंक की 'डिजीटल डिवीडैंड रिपोर्ट-2016' देखने का कष्ट करें जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि आधार योजना की बदौलत केंद्र सरकार को सभी कल्याण कार्यक्रमों के लिए इसे प्रयुक्त करने की स्थिति में 11 अरब डालर वार्षिक बचत हो सकती है।

आलोचकों ने यह कहते हुए भी आधार की कार्यक्षमता पर उंगलियां उठाई हैं कि यह सेवा प्रदाताओं द्वारा मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में की जाने वाली हेराफेरियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के योग्य नहीं है। वे उदाहरण देते हैं कि अभी भी राशन डिपुओं वाले आधार सत्यापन के बाद भी लाभार्थियों को घटिया गुणवत्ता वाले या कम मात्रा में खाद्यान्न देना जारी रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि 'आधार' न तो कोई जादू की छड़ी है और न ही समाज की समस्त बुराइयों का इलाज करने वाली दवाई की गोली। इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह समस्या को पूरी तरह से हल करने के योग्य क्यों नहीं।

वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैन व आधार कार्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि टैक्स प्रणाली में आधार अंक को लागू करने को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि टैक्स चोरी की गहरी जड़ें जमा चुकी बुराई को बहुआयामी कार्रवाई के माध्यम से हल किए जाने की जरूरत है और प्रत्येक व्यक्तिगत कार्रवाई को अलग-थलग करके देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। 'आधार' तो केवल लाभार्थी की पहचान का सत्यापन करता है। अन्य बुराइयों और उल्लंघनाओं से सरकार की उपयुक्त एजैंसियों द्वारा निपटा जाएगा।

हमें इस बात के प्रति भी जागरूक रहना होगा कि पूर्व व्यवस्था में सेंध लगाकर लाभ उठाने वाले लोग अब 'आधार' प्रणाली को बदनाम करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। वे तो यही कोशिश करेंगे कि वास्तविक हकदारों को लाभ न मिल पाएं और फिर इसका सारा दोष आधार प्रणाली पर मढ़ देंगे। सोशल मीडिया में 'आधार' प्रणाली के बारे में ऐसी कई वीडियो व कहानियां उपलब्ध हैं जिनमें बताया गया है कि बड़े पैमाने पर वृद्ध और गरीब लोगों को उनके राशन तथा पैंशनों से किस तरह वंचित रखा जा रहा है और किस प्रकार एक डिपो होल्डर को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया गया है ताकि वह अपनी बायोमीट्रिक अथंटीकेशन मशीन प्रयुक्त करना शुरू करे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अनेक समर्पित समाज सेवी, एक्टीविस्ट और यहां तक कि अर्थशास्त्री भी ऐसे लोगों के मनहूस इरादों को भांपने में विफल रहे। यदि आधार प्रणाली के विरुद्ध जानबूझकर लगाए गए आरोपों को इन कुत्सित इरादों की दृष्टि में आंका गया होता और 'आधार' पर ऐतराज उठाने की बजाय इसके उल्लंघन करने वालों पर ऐतराज उठाए गए होते तो इससे देश और इसके गरीब लोगों का कहीं अधिक भला हुआ होता। ऐतराज उठाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि 'आधार' सशक्तिकरण का एक माध्यम है न कि लोगों को लाभ के दायरे से बाहर धकेलने का हथकंडा। (साभार : इंडियन एक्सप्रैस)